

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु030—4 (मु0)—3054—04—747 / 2017 ४।५५

/ पटना, दिनांक—५/१/१७

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित 01 पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई 0.57 कि०मी० एवं राशि 27.66438 लाख (सताईस लाख छियासठ हजार चार सौ अरतिस) रुपये के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र० सं०	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड का नाम	श्रेणी	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०)	मुल प्राकलित राशि (लाख में)	5—वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल प्राकलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरनौत	नगरनौसा	श्रेणी—2	लच्छु विगहा लोहण्डा (आर०डब्ल्य०डी०) से ग्राम चौरासी पथ	0.57	24.81630	2.84808	27.66438

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, हरनौत योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्तर से MBD आधारित ई-निविदा आमंत्रित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या— मु030—4 (मु0)—3054—04—747 / 2017 के पृ०—०२ / टि० पर दिनांक 19.07.2017 को प्राप्त है।

मुक्तिप्राप्त

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक—03.08.2017 को संचिका संख्या—मु0अ0—4 (मु0)—3054—04—747 / 2017 के पृ०—04 / टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की सम्भाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित कीया जायेगा।
8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं0—96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
11. प्राककलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—मु0अ0—4 (मु0)—3054 04—747 / 2017 के पृ०—०५ / टि० पर दिनांक—१०-०४-१० को प्राप्त है।

विशेषज्ञान
१४/१०

(संजय कुमार)

अपर सचिव

पत्रांक— मु0अ0—4 (मु0)—3054—04—747 / 2017 ४/५५

/पटना, दिनांक १५/५/१७

प्रतिलिपि—नालन्दा जिला के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१४/१०

अपर सचिव

पत्रांक— मु0अ0—4 (मु0)—3054—04—747 / 2017 ४/५५

/पटना, दिनांक १५/५/१७

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता—१ एवं ४, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१४/१०

अपर सचिव

WPS